

कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

संशोधित अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 01 / 2020—21

झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) राज्यादेश सं0 05 / दिनांक 16 / 07 / 2020 के आलोक में वर्ष 2020—21 में तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अन्तर्गत जिला पलामू में भारतीय मेजर कार्प मत्स्य स्पॉन, फाईकैचिंग नेट/जाल, फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड एवं फार्मुलेटेड फिश फीड की आपूर्ति हेतु हैचरी संचालक मत्स्य स्पॉन उत्पादक सह आपूर्तिकर्ता से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0	सामग्री का नाम	अधिकतम दर राशि
1	मत्स्य स्पॉन	550/- प्रति लाख
2	फार्मुलेटेड फिश फीड Extruded Mash Formulated Fish Feed Starter.	60/- प्रति किलो
3	फाईकैचिंग नेट/जाल	2000/- रु० प्रति इकाई
4	फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड (2mm एवं 4mm)	40/- रु० किलो

निविदा की अहताएँ निम्नलिखित हैं :—

1. निविदादाता का नाम — जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।
2. निविदा की राशि — 47 लाख (अनुमानित) एवं फार्मुलेटेड फिश फीड का राशि — 850 लाख रु० मात्र (अनुमानित)
3. स्पॉन का अग्रधन राशि — 100000/-, फीड का अग्रधन राशि — 50000/- एवं जाल का अग्रधन राशि 21000/- रु० मात्र (क्र0 01 में वर्णित नाम से पलामू छालटनगंज में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट)
4. निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान — जिला मत्स्य कार्यालय, पलामू।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय — 31 / 07 / 2020 एवं 01:30 बजे अपराह्न तक
6. निविदा खुलने की तिथि एवं समय — 31 / 07 / 2020 एवं 03:00 बजे अपराह्न
7. निविदा की विस्तृत शर्तें www.palamu.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
8. दिनांक 31 / 07 / 2020 को अपराह्न 03 बजे, उपायुक्त, पलामू द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभियान, पलामू के कार्यालय कक्ष गे निविदा खोली जायेगी।

(बिरन्वर कुमार बिन्हा)

जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पलामू।

कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्तेः—

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होना चाहिए।
2. हैचरी का सरकारी निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ताओं को अपनी मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रूडर का ऑकड़ा प्रजातिवार व अनुपात में देना अनिवार्य होगा।
4. स्पॉन आपूर्तिकर्ताओं को मत्स्य हैचरी का प्रतिचरण स्पॉन उत्पादन की क्षमता को उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40प्रतिशत कतला, 30प्रतिशत रेहु, 30प्रतिशत मृगल मत्स्य स्पॉन होना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पूर्व में सरकारी बोत्र में स्पॉन आपूर्ति का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव एवं ब्यौरा, पहचान पत्र, पैन नं० एवं जी०एस०टी० नं० की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (2019–20, 2018–19, 2017–18 एवं 2016–17) संलग्न करना अनवार्य है।
8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में सो० 100000 (एक लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से पलामू में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथीन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वरक्ष्य अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
10. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वित्तरण स्थल की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उत्तरजीविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में अधिकतम 50000 (पचास हजार) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर जीवित एवं स्वरक्ष्य अवस्था में पहुँचा कर देना होगा। गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
13. मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शुल्क सहित) अधिकतम 550/- (पाँच सौ पचास) रूपये प्रति लाख होगा।
14. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अंगल-अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी और वित्तीय निविदा उनके उपर रपष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता को काली सूची में रखते हुए दिये गये निविदा को रद् कर दी जायेगी।
16. तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी एवं उसपर विचार किया जायेगा अन्यथा उनकी निविदा अयोग्य करार कर दिया जायेगा।
17. निविदादाता को काली सूची में नाहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
18. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः— जिला ग्रामीण विकास अभियान, पलामू/दि०. 31/07/2020 / अपराह्न 03 बजे।
19. किसी तरह का विवाद का निपटाश, पलामू, जिला न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
20. बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

31/07/2020


जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्तेः—

1. निविदादाता को निविदा के साथ Extruded Mash Formulated Fish Feed (Starter) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाईबर की मात्रा (%में), विटामिन का प्रकार, मिनिरल मिक्वर का प्रकार, नमी की मात्रा (%में) आहार सपरिवर्तन दर (FCR) Low एवं सेलफ-लाइफ अधिक होना चाहिए।
2. निविदादाताओं की पैन नम्बर की अधिप्रमाणित छायाप्रति एवं वाणिज्यकर का पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। (PAN Card & IT. Return Last 3 Year) का छायाप्रति संलग्न करें।
3. पूर्व में झारखण्ड, सरकार के सरकारी कार्यालय में फीड आपूर्ति का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. निविदा के साथ सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत कैमिकल एनालिसिस प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ISO Certified Company का होना चाहिए। एवं Extruded Feed होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में Raw Dust नहीं होना चाहिए। Feed Company को Best Aquaculture Certificate (BAP) Certified होना चाहिए।
5. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेंगे तथा दूसरे लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। निविदादाताओं को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रु० का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम नाम से पलामू में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
6. सफल निविदादाता को आहार की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्वर पूँछकर करनी होगी। गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यदि प्रथम सफल निविदावाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी वाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।
8. निविदादाता को काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
9. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः— जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दिनांक 31/07/2020/ अपराह्न 03 बजे होगा। निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपरिथित रह सकते हैं।
10. विभाग हित में निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
11. विवाद की स्थिति में विवाद का निरतरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।



जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पलामू।

कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

आते अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्तें :-

1. फाई कैचिंग नेट/जाल नॉयलोन धागे की होनी चाहिए।
2. निविदा में आपूर्ति की जाने वाली फाई कैचिंग नेट/जाल का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को जाल का वर (GST एवं परिवहन सहित) प्रति मीटर लम्बाई की दर से अंकित करना होगा।
4. जाल की न्यनतम चौड़ाई 15 (पन्चांह) फीट अनिवार्य है।
5. निविदादाता को GST, पैन एवं आयकर रिटर्न (2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) की स्वअभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 21,000/- (एककीस हजार) रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम से पलामू में भुगतेय हो, रखा जायेगा।
7. निविदा के साथ सरकारी क्षेत्र में फाई कैचिंग नेट (जाल) आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. जाल की आपूर्ति गुणवत्ता के अनुरूप नहीं किये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उक्त दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
9. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अगले—अलग बंद लिफाफे में “तकनीकी या वित्तीय निविदा” उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बाहर से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनों (वित्तीय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जारेगी।
10. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः— जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/ दिनांक 31/07/2020 अपराह्न 03 बजे होगा। निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
11. विभाग हित में निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
12. विवाद की स्थिति में विवाद का गिरस्तरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।


जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पलामू।